सं.ए-12026/2/20201-स्था. VII/29 से 35
भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

सेवा भवन, 5 वीं तल, कमरा न.528(उ.),
आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066

दिनांकः 11 अक्टुबर, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषयः भारत के विभिन्न भागों में स्थित के.ज.आ. के अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिक ग्रेड-1 के पद को प्रतिनियुक्ति या समावेशन के आधार पर भरने के संबंध में।

निम्नलिखित योग्यता शर्तों को पूरा करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति/समावेशन के आधार पर भारत के विभिन्न भागों में स्थित के.ज.आ. के अधीनस्थ कार्यालयों में 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रू.35400-1,12,400/-) (6वें वेतन आयोग के अनुसार रू.9300-34800/-के पे बैंड और ग्रेड पे रू.4200/-) में आशुलिपिक ग्रेड-1 के 04 (चार) (संभवित) पदों को भरने का प्रस्ताव हैः-

प्रतिनियुक्ति अथवा समावेशः केन्द्र सरकार के अधीन आशुलिपिक के पद पर कार्य कर रहे अधिकारीः

(i) मूल संवर्ग/अथवा विभाग में नियमित आधार पर इसके समकक्ष पद पर कार्य कर रहे हों; **अथवा**
(ii) सातवें वेतन आयोग के अनुसार (छठवें वेतन आयोग के अनुसार पी.बी. रु.5200-20200/- रु. ग्रेड पे 2400 सहित) वेतन मैट्रिक्स (रु.25,500-81,100) में लेवल 4 में 10 वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो।

1. फीडर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या विचारण के पात्र नहीं होंगे, जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या विचारण के पात्र नहीं होंगे।

2. इस कार्यालय अथवा सरकार के अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के पूर्ववर्ती कार्यालय में अन्य बाहय संवर्ग के पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

3. प्रतिनियिुक्ति अथवा समावेशन आधार पर नियुक्ति के लिए एक अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख (वह तारीख जिससे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे को बढ़ाया गया है) से सेवा इसी वेतन मैट्रिक्स में अथवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान बढ़ाया गया है, मानी जाएगी जहां पर एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान एक ही वेतन में मिला दिए गए हों और जहां यह लाभ बिना किसी उन्नयन के सामान्य ग्रेड की जगह उस ग्रेड पे अथवा वेतनमान जिसके लिए केवल ऐसे पदो के लिए बढ़ाया जाएगा।

जारी....पृ.2/-

4. सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो कि एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत होने वाले हैं या रिर्जव में स्थानांतरित किए जाने वाले है और जिन्होने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कम से कम 12 वीं कक्षा तथा श्रुतलेखन 100 शब्द प्रति मिनट की दर पर और कम्प्युटर पर प्रतिलेखन 40 मिनट (अंग्रेज़ी) या 55 मिनट (हिन्दी) प्रति 10 मिनट का कौशल परीक्षण उर्त्तीण किया हो, ऐसे अधिकारी का चयन हो जाता है तो उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुर्ननियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे अधिकारी जो, वास्तविक चयन से पहले सेवा निवृत हो चुके है, या रिर्जव में स्थानांतरित हो गए है, उनकी पद पर नियुक्ति पुर्ननियोजन आधार पर की जाएगी।

5. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. चयनित कर्मचारियों का वेतनमान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.01.1994 के का.ज्ञा.सं.2/29/91-स्था.(पे-II) और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार विनियमित की जाएगी।

7. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/नियमों में निर्धारित अन्य शर्तें/निबंधन भी लागू होंगे।

8. यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदन इसके साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में निम्न सहित प्रस्तुत किया जाए:-
   (i) पूर्णतः एपीएआर डोजियर।
   (ii) सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र।
   (iii) उन इच्छुक और योग्य अधिकारियों के संदर्भ में बड़ी/छोटी शास्ति, यदि लगाई गई हो और उसका सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र, जिनको उनके चयन होने पर तत्काल कार्यमुक्त किया जा सके, रोजगार समाचार में इस इस परिपत्र/प्रकाशन के ज़ारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर इस आयोग को अग्रेषित किया जाए।

9. निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त अथवा अपूर्ण पाए गए आवेदनों पर विचार करना संभव नहीं होगा।

संलग्नः प्रपत्र।

पिंकी
11/10/21
(पिंकी पाण्डेय)
अवर सचिव
दूरभाषः 011-29583287

प्रतिलिपिः-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. के.ज.आ./नदी प्रबंध निदेशालय, के.ज.आ., वेस्ट ब्लाक-।, आर.के.पुरम, नई दिल्ली के सभी अधीनस्थ कार्यालय।
3. के.ज.आ. के सभी अनुभाग/इकाइयां।
4. निदेशक, एसएमडी, के.ज.आ. को इसे के.ज.आ. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. अवर सचिव (स्था.।), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए।
6. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लाक, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए।

भाग– I

जीवन–वृत्त प्रपत्र

1.	नाम	
2.	जन्मतिथि	
3.	सेवानिवृत्ति की तारीख	
4.	क्या केन्द्र सरकार या सशस्त्र बल के कार्मिक हैं	
5.	यदि हां, धारित पद/पदों का ब्यौरा (क्रमिक रूप में)	

क.सं.	धारित पद	नियमित/तदर्थ	वेतनमान पे बैंड	ग्रेड पे	से	तक
(प)						
(पप)						

6. शैक्षणिक अर्हता

क.सं.	बोर्ड का नाम	पास की गई परीक्षा	वर्ष	विषय मुख्य/अनिवार्य/ऐच्छिक
(प)				
(पप)				
(पपप)				
(पअ)				

7.	आशुलिपिक कार्य का अनुभव यदि कोई हो	
8.	क्या उक्त पद के लिए विनिर्धारित अर्हता शर्तों को पूरा करते हैं	
9.	क्या अ.जा./अ.ज.जा. से संबंध रखते हैं	
10.	पत्राचार का पता और दूरभाष/मोबाइल संख्या	
11.	अभ्युक्तियां, यदि कोई हो	

मैंने पद रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मुझे भली प्रकार ज्ञात है कि मेरे द्वारा जीवनवृत्त के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की, इस पद के लिए चयन के समय चयन समिति द्वारा भी जांच की जाएगी।

दिनांक : **(आवेदक के हस्ताक्षर)**

स्थान :

जारी....पृ.2/–

भाग— II

(नियंत्रक अधिकारी द्वारा भरा जाए)

1. प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/श्रीमती/कुमारी...

पदनाम...

द्वारा भाग— I में दी गई जानकारी सही है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उसके विरूद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामले न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है।
3. चयन हो जाने की स्थिति में, उन्हें तत्काल अपने पद से कार्यमुक्त किया जाए ताकि वे नई नियुक्ति पर अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें।
4. उनकी गत 5 वर्ष की रिपोर्ट वाला एपीएआर डोजियर, कोई शास्ति नहीं विवरण और सत्यनिष्ठा प्रमाण—पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर

(प्राधिकारी का नाम)

पदनाम :...

विभाग/मंत्रालय :...

कार्यालय मोहर ....

दूरभाष संख्या ....

No.A-12026/2/2021-Estt.VII / 272 - 278
Government of India
Central Water Commission

Sewa Bhawan, Room No.528(N),
R.K. Puram, New Delhi – 110066.

Dated: 11th October, 2021.

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Filling up the post of Stenographer Grade-I in the Subordinate Offices of CWC located in different parts of India on deputation or absorption basis – regarding.

It is proposed to fill up 04 (four) (Tentative) posts of Stenographer Grade-I in the Subordinate Offices of CWC located in different parts of India in Level -6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 1,12,400) as per 7th CPC, (in PB-2 Rs. 9300-34800 with GP Rs. 4200 / as per 6th CPC) on deputation or absorption basis from amongst Central Government Officers fulfilling following eligibility conditions:-

Deputation or absorption: Officers holding the post of Stenographer under the Central Govt:

(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) With ten years regular service in the Level -4 in the pay matrix (Rs. 25500 – 81,100) as per 7th CPC, (PB-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400 as per 6th CPC).

1: The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years.

3: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommended has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendation of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one level in the pay matrix with a common level in the pay matrix and where this benefits will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

4. The armed forces Personnel who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing at least 12th Class Pass from a recognized Board or University and Skill Test of Dictation for 10 minutes @ 100 words per minute; and Transcription of Dictation in 40 minutes (English), or 55 Minutes (Hindi) on computer shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces, thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis.

5. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

Contd......P/2.

6. The pay of the officers selected will be regularized in accordance with the DOPT OM No.2/29/91-Estt.(Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

7. Other terms/conditions as stipulated in Orders/Rules issued by the Govt. of India from time to time will also be applicable.

8. It is requested that application in duplicate in the enclosed prescribed Performa along with:-

   (i) Complete up to date APAR Dossier.

   (ii) Vigilance Clearance Certificate.

   (iii) Certificate of Major/Minor penalty if any imposed and Integrity Certificate in respect of interested and eligible officers, who can be spared immediately in the event of their selection, may be forwarded to this Commission within 45 days from the date of issue of this circular/publication in Employment News, whichever is later.

9. Applications received after the prescribed time limit or otherwise found incomplete will not be entertained.

Encl: Performa.

11/10/21

(Pinki Pandey)
Under Secretary
☎ : 011-29583287

Copy to:-

1. All Ministries/Departments of Government of India.
2. All Subordinate Offices of CWC/RD Directorate, CWC, West Block-I, R.K. Puram, New Delhi.
3. All Sections/Dtes./Units of CWC.
4. The Director, SMD, CWC for uploading the same in CWC Website.
5. Under Secretary (Estt-I), Ministry of Water Resources, RD & GR. It is requested that this OM may also be uploaded on the Website of the Ministry.
6. The DoPT, North Block New Delhi. It is requested that this OM may also be uploaded on the Website of the DoPT.

PART-I

BIO-DATA

1.	Name	
2.	Date of Birth	
3.	Date of retirement	
4.	Whether a Central Govt. Employee or Armed forces Personnel	

5. If so, details of the post/posts held (in chronological order)

Sl. No.	Post held	Regular/ad-hoc	Pay Scale Pay Band	Grade Pay	From	To
(i)						
(ii)						

6. Educational Qualifications

Sl. No.	Name of the Board	Exam passed	Year	Subjects Main/Compulsory/Elective
(i)				
(ii)				
(iii)				
(iv)				

7.	Experience if any, relating to Stenographic work	
8.	Whether the eligibility conditions prescribed for the post are satisfied	
9.	Whether belongs to SC/ST Community	
10.	Address for communication with Telephone/Mobile Number	
11.	Remarks if any	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae duly supported by documents submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post.

(Signature of Candidate)

Date :

Place :

Contd............P/2.

PART - II

(TO BE FILLED BY LENDING AUTHORITY)

1. Certified that the particulars given by

   Shri/Kumar/Smt.______________________________

   Designation ______________________________

   Part-I are correct.

2. Certified that no Vigilance/Disciplinary case is either pending of contemplated against him/her.

3. In case of selection he/she will be relieved of his/her duties immediately to take up his/her new assignment.

4. His/her APAR Dossier containing reports for last five years, No Penalty Statement Certificate and Integrity Certificate are enclosed.

Signature
(Name of the Authority)
Designation:____________
Department/Ministry____________
Official Seal____________
Telephone No.____________